Indian J. Soc & Pol. 03(02): 2016: 63-66 **ISSN 2348-0084 (P)**
ISSN 2455-2127 (O)

मानवाधिकार : महिला उत्थान एवम् जेण्डर बजटिंग

ममता मणि त्रिपाठी[1]
[1]विभागाध्यक्ष (राजनीति शास्त्र),श्री भगवान महावीर स्नातकोत्तर महाविद्यालय,फाजिलनगर (कुशीनगर) उ0प्र0 भारत

ABSTRACT

मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार मानवाधिकार ही रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नही होगा क्योंकि जीवन के अधिकार की सुरक्षा के प्रति चेतना से प्रेरित होकर ही मानव बर्बर अवस्था से सभ्य समाज की दिशा में प्रवृत्त हुआ। इस तरह मानवाधिकार कोई नवीन विचार नही है बल्कि मानव सभ्यता के विकास से सम्बंधित विचार है। मानवाधिकार मानव चेतना से सम्बंधित अवधारणा है। मानवाधिकार का प्रश्न सम्पूर्ण मानवता के बुनियादी सरोकारों से संबद्ध है तथा महिला अधिकारों के विषय में यह व्याख्या प्रासंगिक है क्योंकि किसी भी महिला को महिला होने के नाते मानव अधिकारों के दायरे से पृथक नही किया जा सकता है। महिला अधिकार मानवाधिकार से पृथक विचार नही है बल्कि महिला अधिकार मानवाधिकार का सम्पूरक विचार है। मानवाधिकार से आशय मानव समुदाय का सदस्य होने के कारण मानव को राष्ट्रीयता, लिंग, जाति, वर्ण, सामाजिक, आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय आदि विभेद के बिना प्राप्त उन अधिकारों से है जो जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से सम्बंधित तथा उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। मानव अधिकार के अन्तर्गत ऐसे समस्त पक्ष/ अधिकार सम्मिलित होते हैं जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं।

KEYWORDS: *मानवाधिकार, महिला उत्थान, जेण्डर बजटिंग*

मानवाधिकारों की प्राप्ति के संघर्ष में 1215ई0 में प्रसिद्ध मैग्नाकार्टा की घोषणा से ब्रिटिश संसद को शासन पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त हुआ। 1688ई0 की गौरवपूर्ण क्रांति एवं 16 दिसम्बर 1689ई0 की ब्रिटिश संसद द्वारा घोषित अधिकारों की घोषणा को शासन द्वारा स्वीकृति मानव अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। 1789 की फ्रांसीसी क्रान्ति में मानव अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके द्वारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को कानूनी अधिकार की मान्यता प्राप्त हुई। 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की गई। भारत सरकार द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा एवं उनके बारे में सजगता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 दिसम्बर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक पारित किया गया।

जहाँ तक महिला मानवाधिकार की संकल्पना का प्रश्न है तो यह बहुत पुरानी है। प्लेटों ने अपनी प्रसिद्ध कृति Republic में स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का समर्थन करते हुए महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने तथा शासन में भाग लेने के अधिकारों का प्रतिपादन किया। 1793ई0 में वॉल्स्टनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक 'विंडिकेशन ऑफ राइट्स' के माध्यम से कानूनी राजनैतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में महिलाओं के समान अधिकारों का दृढता से समर्थन किया। 1869 में जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी कृति Subjection of Women में स्त्री मताधिकार का समर्थन करते हुए सुयोग्य एवं प्रतिभाशाली स्त्रियों को समान अवसर प्रदान करने की वकालत की। 1917 में साम्यवादी क्रांति के बाद रुसी संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये गये। नारी मुक्ति आन्दोलन की प्रवर्तक अमेरिकी महिला सराह हेल नें अपनी पत्रिका लेडिज मैगजीन के माध्यम से महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा देने तथा लड़के लड़कियों की समान शिक्षा पर बल दिया। 1882 में फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगो के संरक्षण में महिला अधिकार संगठन की स्थापना की गई।

1893ई0 में न्यूजीलैण्ड में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। 1904ई0 में संयुक्त राज्य अमेरिका में International Women Right Alliens अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकार समिति की स्थापना की गई। फिनलैण्ड में 1906 में महिलाओं को प्रथम बार मत देने का अधिकार मिला। जापान में 1911 में पहली बार महिला मुक्ति आंदोलन का प्रारम्भ हुआ। नार्वे में 1913 में महिलाओं को प्रथम बार मताधिकार दिया गया। वर्ष 1936ई0 में फ्रांस में महिलाओं को प्रथम बार मताधिकार दिया गया तथा नोबुल पुरस्कार से सम्मानित मैडम क्यूरी सहित 3 महिलाएँ पहली बार फ्रांस में मंत्री बनीं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नें 1951ई0 में महिलाओं के लिए पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी नियम पारित किया। ट्यूनीसिया में 1957 में स्त्री पुरुष समानता का कानून पारित हुआ। 1995 ई0 में महिलाओं के तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन मे महिला अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष की विस्तृत रणनीति जारी की गई।

भारतीय संदर्भ में महिला मानवाधिकार का एक दीर्घ इतिहास रहा है। इसका प्रारम्भ वैदिक काल से माना जा सकता है। वैदिककालीन समाज मे अधिकारों की दृष्टि से स्त्री पुरुष में किसी प्रकार के विभेद का अभाव था लेकिन उत्तर वैदिक काल में इस स्थिति में परिवर्तन होने लगा। मध्यकाल की सामाजिक

1: Corresponding Author

व्यवस्था में जब पुरुषों की अग्रणी स्थिति को औचित्य प्राप्त हो गया तो महिलाओं को अनेक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ब्रिटिश काल में अधिकारों की दृष्टि से महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय हो चुकी थी। महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव किया जाने लगा। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने तथा सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नही था। व्यापक स्तर पर अपने अधिकारों के लिए महिलाओं के संघर्ष का प्रारंभ स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान ही हो गया था।1917 से 1947ई0 तक यह चलता रहा। 1917 में भारतीय महिलाओं ने संगठित रुप से अपने अधिकारों की सार्वजनिक माँग की। 1920 में पहली बार मद्रास विधान परिषद द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। 1929ई0 तक समस्त विधान परिषदों द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार दे दिया गया। यद्यपि यह मताधिकार सीमित था।

स्वतंत्रता के उपरांत अंगीकृत भारतीय संविधान में स्त्री पुरुष समानता को वैधानिक रुप में स्वीकार किया गया है। महिला अधिकारों की दृष्टि से संविधान के अनु0 14, 15,21, 39(A) (D) (E) 42, 44, 51(क) विशेष उल्लेखनीय है। महिलाओं के हितों के संरक्षण एवं अधिकारों की अभिवृद्धि की दिशा में राज्य द्वारा अनेक अधिनियम एवं कानून बनाए गए हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु संसद द्वारा महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए समय–समय कानूनों का प्रावधान किया गया जिससे समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, ठेका श्रम अधिनियम 1970, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1976, स्त्री अशिष्ट निरुपण निषेध अधिनियम 1986, सती निषेध अधिनियम 1987, प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005, हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 आदि महिलाओं की रक्षा के लिए बनाए गए हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा महिला उत्थान की दिशा में कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं को चलाया गया है जिसमें महिला समाख्या योजना 1989, बालिका समृद्धि योजना 1997, किशोरी शक्ति योजना 2000, सर्व शिक्षा अभियान 2001, कस्तुरबा गाँधी विशेष बालिका विद्यालय योजना 2004, उज्जवला योजना 2015, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना 2005, बालिका प्रोत्साहन योजना 2006, प्रियदर्शिनी परियोजना 2008, इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना 2010, सबला योजना 2012, स्वयंसिद्धा योजना 2013, बेटी बचाओ बेटी पढ़ायों योजना, सुकन्या समृद्धि योजना सम्मिलित है।

जेण्डर आधारित बजट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार के बजट बनानें की प्रक्रिया में जेण्डर समानता को बढ़ावा देने वाले विश्लेषणों के आधार पर सार्वजनिक संसाधनों का निर्धारण किया जाता है। जेण्डर आधारित बजट महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग बजट बनाने की बात नही करता बल्कि यह सरकार में मुख्य धारा के बजट आधार पर महिलाओं और पुरुषों पर पड़ने वाले प्रभावों को अलग–अलग दिखाने का प्रयास है। आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में देखें तो भारत में जेण्डर आधारित बजट अधिक स्पष्ट होते हैं क्योंकि पुरुषों को मुख्य उत्पादनकर्ता के रुप में देखा जाता है और उसे अधिक पारिश्रमिक वाले काम मिलते हैं वहीं पर महिला को अधीनस्थ कार्यकर्ता के रुप में कम आय वाले अवसर ही प्राप्त होते हैं।

अधिकांश परिवारों में पुरुषों को कमाऊ सदस्य के रुप में देखा जाता है। यदि भारत में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में देखा जाए तो देश की आबादी का 48 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद देश के कुल संसाधनों में उनकी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। देश के सार्वजनिक व्यय का एक बड़ा हिस्सा जेण्डर न्यूट्रल क्षेत्र जैसे– बिजली, रक्षा, यातायात आदि पर खर्च होता है जिससे महिलाओं को कोई विशेष लाभ नही मिलता है। केन्द्रीय बजट में इनकी हिस्सेदारी कम ही होती है इसलिए सरकार जेण्डर बजटिंग पर विशेष ध्यान दे रही है। 2015–16 का बजट पूर्ण बजट के रुप में जाना जाता है क्योंकि दो दशक बाद किसी राजनीतिक दल की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। सरकार की प्राथमिकताओं में महिला सुरक्षा तथा महिलाओं को सम्मानजनक स्थान दिलाने के प्रयासों का अहम योगदान रहा है। महिला के अधिकारों की रक्षा हेतु निर्भया कोष में 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है इस राशि का कुछ हिस्सा दिल्ली पुलिस भी महिला सुरक्षा के उपायों पर खर्च कर सकेगी।

देश की 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 परुषों पर महिलाओं का अनुपात 913 है। बाल लिंग अनुपात 918 है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में यह अनुपात 900 से कम है। इसी भेदभाव के कारण महिलाओं के साथ होने वाले अपराध दिनोंदिन बढ़ रहे हैं। हर वर्ष 10 लाख बच्चियाँ गर्भ में मार दी जाती हैं। दिल्ली पुलिस ने हिम्मत नाम से एप् सेवा प्रारंभ की है जिससे संकट की स्थिति में महिलाएँ विशेष बटन दबाकर अपनी लोकेशन की सूचना तत्काल पुलिस को दे सकती है। 2005 में Gender Budgeting शुरु की गयी। इसके अनुसार सरकार के सभी विभागों के खर्च में महिलाओं के उत्थान के लिए किये जाने वाले खर्च का अलग से स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए ताकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा रके।

महिला सशक्तिकरण के 4 बिन्दुओं : स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक स्वावलम्बन को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने बजट 2016 में महत्वपूर्ण घोषणाएँ की। गरीब परिवार की महिलाओं के नाम से एल0पी0जी0 कनेक्शन मुहैया कराने के लिए बजट 2016–17 में 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जिसमें प्रति परिवार एक लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा दी जायेगी। स्वास्थ्य बीमा उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का उद्देश्य ही है हिंसा से मुक्त वातावरण में सम्मान के साथ रह रही तथा देश के विकास

में पुरुषों के समान भागीदारी निभा रही सशक्त महिलाएँ और सुसंपोषित बच्चे जिन्हें शोषण मुक्त वातावरण में विकास एवं वृद्धि के अवसर प्राप्त हों।

बजट 2016–17 में वित्त मंत्री नें एकीकृत बाल विकास स्कीम के मद में 16120 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें 6 साल तक की आयु के सभी बच्चे आते हैं। इसमें आंगनबाड़ी में पौष्टिक खाना मिलता है साथ ही बच्चों और माँओ का टीकाकरण और नियमित रुप से स्वास्थ्य की जाँच, सफाई और स्कूल पूर्व की शिक्षा दी जाती है। वित्त मंत्री ने इस बार बजट में विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन हेतु 9700 करोड़ रुपये आवंटित किए। महिला और बाल स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक 'स्वच्छता' है। वित्त मुंत्री ने बजट में स्वच्छ भारत अभियान हेतु 11300 करोड़ रुपये आवटिंत किये हैं। प्रधान मंत्री द्वारा 2019 तक पाँच वर्ष के भीतर देश को स्वच्छ बनाने के आह्वान के बाद पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन में मुख्य भूमिका निभायी है इसके लिए खुले में शौच से मुक्ति आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण शिक्षा के साथ जुड़ा है। शिक्षा का तात्पर्य आखर ज्ञान नही। शिक्षा निर्णय लेने की क्षमता, आर्थिक स्वावलम्बन और अधिकारों के प्रति जागरुकता का मार्ग प्रशस्त करती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे–IV के तहत वर्ष 2015–16 में चयनित राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में महिला सशक्तिकरण के बेहतर संकेत देखने को मिलते हैं यकीनन इसमें महिलाओं का शिक्षित होना एक अहम वजह है। विकास अध्ययन के लिए ब्रिटेन स्थित संस्थान (I.D.S.) द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार माताओं की शिक्षा और निर्णय लेने की उनकी क्षमता शिशु और बाल मृत्यु दर को प्रभावित करता है यह तथ्य बंगाल के संदर्भ में स्पष्ट है जहाँ महिला साक्षरता दर 50.8 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हुई एवं शिशु मृत्यु दर एवं पाँच वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट हुई थी। बजट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार करना और बेटियों को पढ़ाना है। सरकार की चिंता का विषय स्कूल छोड़ती बच्चियाँ है। एक समाजसेवी संस्था ब्रेक थ्रू के सर्वे के अनुसार स्कूल जाती 50 प्रतिशत लड़कियाँ किसी न किसी रुप में यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के रिकार्ड के अनुसार महिलाओं पर होने वाले अपराधों जैसे दुष्कर्म, हिंसा दहेज हत्या में 11 प्रतिशत की दर से सलाना वृद्धि हुई है। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा और यौन हिंसा की मदद के लिए 500 करोड़ रुपये निर्भया फंड के लिए अनुमोदित किये गए हैं।

बजट 2016–17 में महिलाओं के सशक्तिकरण के आधार स्तंभ आर्थिक स्वावलम्बन की घोषणा की गई जिसमें स्टेंडअप योजना प्रत्यक्ष रुप से लाभांवित करेगी। सरकार के स्टेंडअप इण्डिया स्कीम के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिला उद्यमियों के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये दिये जाते हैं। भारत में महिलाएँ कुल जनसंख्या का करीब 48 प्रतिशत हैं लेकिन रोजगार में हिस्सेदारी 26 प्रतिशत है। सरकार ने नवम्बर 2013 में अनन्य रुप से महिलाओं के लिए भारतीय महिला बैंक लिमिटेड नामक बैंक स्थापित किया है यह भारत में अपने प्रकार का पहला बैंक है जो महिलाओं के लिए खोला गया है। इसमें सभी तबके की महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरुप नए उत्पाद एवं सेवाएँ अभिकल्पित है। इसके अलावा महिलाओं के लिए स्त्री शक्ति पुरस्कार की घोषणा की गयी अनेक राज्यों नें महिलाओं को पुरुस्कृत करने का प्रयास किया है।

जेण्डर बजटिंग का उद्देश्य जेण्डर समानता का प्राप्त करना, निर्धनता को अधिक प्रभावशाली ढंग से कम करना, आर्थिक कार्यकुशलता बढ़ाना, जबाबदेही एवं पारदर्शिता को बढ़ावा तथा उत्तम अभिशासन की प्राप्ति है। महिला उत्थान एवं मानवाधिकार की सुरक्षा हेतु निम्न बातों का होना आवश्यक है–

1. महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रसार हो जिसमें व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2. महिलाओं को तथा उनके शिशुओं को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जाय।
3. रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाए।
4. वैधानिक संरक्षण तथा वैधानिक सहायता सेवा हो।
5. महिलाओं के लिए सेवा शर्तों में शिथिलता के साथ ही अवकाश, पदोन्नति तथा प्रशिक्षण की सुविधा हो।
6. घरेलू हिंसा तथा अन्य हिंसा से महिलाओं के सुरक्षा का प्रबंध किया जाय।

नारी मनुष्यता को पूर्णता प्रदान करती है। नारी अभ्युदय के लिए उनकी पहचान, उनके सम्मान एवं व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उनके लिए गरिमामय स्थान सुरक्षित संरक्षित और सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ऐसा करके सर्वश्रेष्ठ भारत की कल्पना की जा सकती है।

संदर्भ

योजना– मार्च 2015,

कौशिक, आशा (2004):'महिला अधिकारों का प्रश्न : भारतीय संदर्भ, *राज्य शास्त्र समीक्षा* जयपुर मार्च

मौर्य, शैलेन्द्र (2013): *'भारत में महिला मानवाधिकार'* पोइन्टर पब्लिशर्स

मेरी वोल्स्टन क्रॉफ्रट (2003) *'द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन'* मीनाक्षी द्वारा मेरी की मूल पुस्तक का हिन्दी अनुवाद : स्त्री अधिकारों का औचित्य साधन, राजकमल दिल्ली 2003।

थारु सूजी एण्ड तेजस्वनी निरंजना,(1999) : *प्राब्लम्स फॉर अ कंटेपोरेटी थियोरी ऑफ जेंडर* साइटेड इन जेंडर एंड पालिटिक्स दिल्ली, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

सिंह, निशांत (2008*): 'मानवाधिकार और महिलाएँ'* नई दिल्ली, राधा पब्लिकेशन

राष्ट्रीय सहारा 8 मार्च 2016

दैनिक जागरण, 8मार्च 2016

जेण्डर बजट्टिग हैण्डबुक फार गवर्नमेंट आफ इण्डिया, 2014.15, नई दिल्ली, मिनिस्टी ऑफ वोमेन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट,

आर्य, साधना एण्ड निवेदिता मेनन,(2001): *नारीवादी राजनीति : संघर्ष व मुद्दे* नई दिल्ली, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय